भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 510

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर पर खर्च</u>

510. श्री अनिल देसाई :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिदेशित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च करने के मामले में सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किए गए समग्र खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निर्वहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : उन 460 सूचीबद्ध कंपनियों के सीएसआर व्यय, जिन्होंने अपनी वेबसाइटों पर वार्षिक रिपोर्टें रखी हैं, दर्शाते हैं कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 409 निजी क्षेत्र कंपनियों ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6,337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने अनिवार्य सीएसआर निधि के लगभग 71% का उपयोग किया है जबकि निजी क्षेत्र कंपनियों ने 79% का उपयोग किया, जिसका सारांश नीचे दिया गया है -

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय	अनिवार्य सीएसआर व्यय	उपयोग प्रतिशत
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60	3359.84	71.03
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76	4987.63	79.21
	योग	**460**	**6337.36**	**8347.47**	**75.92**

(ग) : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अधिनियम के सीएसआर उपबंध का प्रभावी कार्यान्वयन सुगम करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं/सेमीनार/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

*****